छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

प्रकरण क्रमांक –311 **M-COM-2021-01570**

आवेदक : छत्तीसगढ़ रेरा विरूद्ध ''मर्लिन जयश्री विहार (फेस–2)'', प्रमोटर–मेसर्स जयश्री बिल्डर्स, पता–मर्लिन जयश्री विहार, डी ब्लॉक 6ए, देवेन्द्र नगर, रायपुर (छ.ग)
प्रोजेक्ट–''मर्लिन जयश्री विहार (फेस–2)'' पंडरीतराई, रायपुर (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
08/06/2022	– प्रकरण प्रस्तुत । – भू–संपदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 धारा–5, अंतर्गत अनावेदक का प्रोजेक्ट ''मर्लिन जयश्री विहार (फेस–2)'' पंजीयन क्रमांक–**PCGRERA220618000287** के रूप में छत्तीसगढ़ रेरा में पंजीकृत किया गया है। छत्तीसगढ़ रेरा में पंजीकृत सभी प्रोजेक्ट्स को भू–संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा–11 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार प्रोजेक्ट की त्रैमासिक प्रगति रेरा के वेबपोर्टल पर अद्यतन करना अनिवार्य है। इस संबंध में प्राधिकरण द्वारा अपने परिपत्र क्रमांक–17 / रेरा / 2018 / 562, दिनाँक 28.09.2018 एवं क्रमांक–22 / रेरा / 2018 / 676, दिनाँक 03.11.2018 के माध्यम से विस्तृत दिशा निर्देश भी जारी किये गये थे। जो प्राधिकरण की वेबसाईट पर सहज उपलब्ध हैं। प्राधिकरण द्वारा समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि अनावेदक द्वारा उपरोक्त उल्लेखित प्रावधानों व निर्देशों की अवहेलना करते हुए, उपरोक्त वर्णित रियल एस्टेट प्रोजेक्ट की त्रैमासिक प्रगति पोर्टल पर अद्यतन नहीं की गई है। अतः प्राधिकरण द्वारा अनावेदक के विरूद्ध दिनाँक 25.11.2021 को प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। – अनावेदक द्वारा प्रकरण की सुनवाई के दौरान विवादित प्रोजेक्ट का त्रैमासिक अद्यतन पूर्ण करने हेतु समय की मांग की गई। प्राधिकरण द्वारा अनावेदक को लंबित त्रैमासिक अद्यतन पूर्ण करने हेतु समुचित अवसर प्रदान किया गया। – प्राधिकरण द्वारा विवादित प्रोजेक्ट से संबंधित समस्त दस्तावेजों का अवलोकन व अध्ययन किया गया। अनावेदक द्वारा प्राधिकरण के वेबपोर्टल पर अपलोड की गई जानकारी अनुसार जून, 2019 तक विवादित प्रोजेक्ट के विकास कार्य की पूर्णता की स्थिति 33 प्रतिशत है। अनावेदक द्वारा जून, 2019 उपरांत कोई त्रैमासिक	

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
	जानकारी अपलोड नहीं की गई है। यहाँ यह भी उल्लेखित करना सुसंगत होगा कि प्राधिकरण में प्रस्तुत पंजीयन हेतु आवेदन अनुसार प्रोजेक्ट पूर्णता दिनाँक 30.04.2023 है। अनावेदक ने ऑनगोईंग प्रोजेक्ट के संबंध में जून, 2019 उपरांत कोई त्रैमासिक अद्यतन नहीं की है। चूँकि अधिनियम के प्रावधानों अंतर्गत आबंटितियों के हितों का संरक्षण व रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स का निर्धारित समयावधि में विकास सुनिश्चित कराना प्राधिकरण का प्रमुख दायित्व है। अनावेदक ने वर्ष 2018–2019, 2019–2020 एवं 2020–2021 की वार्षिक लेखा परीक्षण रिपोर्ट भी प्रस्तुत नहीं की है। अनावेदक का उक्त कृत्य भू–संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा–4 व धारा–11 का उल्लंघन है। अतः पंजीयन दिनाँक से आज दिनाँक तक का प्राधिकरण के वेबपोर्टल पर त्रैमासिक अद्यतन करने तथा उपरोक्तानुसार जानकारियाँ प्रस्तुत करने हेतु अनावेदक को दो माह का समय दिया जाना उचित प्रतीत होता है। साथ ही अनावेदक द्वारा उपरोक्तानुसार अनुपालन किये जाने तक आबंटितियों के हितों के संरक्षण के उद्देश्य से प्रोजेक्ट में क्रय–विक्रय को प्रतिबंधित किया जाना तथा प्रोजेक्ट संबंधी समस्त खातों से आहरण पर रोक लगाया जाना भी उचित प्रतीत होता है। – उपरोक्त विवेचना के आधार पर प्राधिकरण द्वारा निम्नानुसार अंतरिम आदेश आदेश पारित किया जाता है :– 1. अनावेदक, दो माह के भीतर, प्रोजेक्ट संबंधी सभी लंबित त्रैमासिक अद्यतन, वार्षिक लेखा परीक्षण रिपोर्ट वर्ष 2018–2019, 2019–2020 एवं 2020–21 को प्राधिकरण के वेबपोर्टल पर अपलोड करना तथा अन्य लंबित अनुपालनों को पूर्ण करना सुनिश्चित करे। यदि अनावेदक द्वारा निर्धारित समयावधि में उपरोक्त आदेशों का अनुपालन नहीं किया जाता है, तो अधिनियम के प्रावधानों अंतर्गत नियमानुसार कार्यवाही करते हुये प्रमोटर को डिफाल्टर घोषित किया जावेगा।	

छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

प्रकरण क्रमांक –311 **M-COM-2021-01570**

आवेदक : छत्तीसगढ़ रेरा विरूद्ध ''मर्लिन जयश्री विहार (फेस–2)'', प्रमोटर–मेसर्स जयश्री बिल्डर्स, पता–मर्लिन जयश्री विहार, डी ब्लॉक 6ए, देवेन्द्र नगर, रायपुर (छ.ग)

प्रोजेक्ट–''मर्लिन जयश्री विहार (फेस–2)'' पंडरीतराई, रायपुर (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
	2. अनावेदक द्वारा उपरोक्त आदेशों का अनुपालन किये जाने तक विवादित प्रोजेक्ट में विक्रय पर प्रतिबंध लगाया जाता है तथा प्रोजेक्ट संबंधी समस्त खातों से आहरण पर प्रतिबंध लगाया जाता है। रजिस्ट्रार, छ.ग. रेरा को यह निर्देशित किया जाता है कि कलेक्टर, जिला–रायपुर (छ.ग.), जिला–पंजीयक, जिला–रायपुर (छ.ग.) व क्षेत्रीय प्रबंधक, संबंधित बैंक (बैंकों) को इस संबंध में पृथक से पत्र प्रेषित करे। – आदेश की प्रति प्राधिकरण के वेबपोर्टल पर अपलोड की जावे। – प्रकरण नस्तीबद्ध कर अभिलेख कोष्ठ दाखिल किया जावे। सही/– (राजीव कुमार टम्टा) **सदस्य** सही/– (विवेक ढाँड) **अध्यक्ष**	

छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

प्रकरण क्रमांक –311 **M-COM-2021-01570**

आवेदक : छत्तीसगढ़ रेरा विरूद्ध ''मर्लिन जयश्री विहार (फेस–2)'', प्रमोटर–मेसर्स जयश्री बिल्डर्स, पता–मर्लिन जयश्री विहार, डी ब्लॉक 6ए, देवेन्द्र नगर, रायपुर (छ.ग)

प्रोजेक्ट–''मर्लिन जयश्री विहार (फेस–2)'' पंडरीतराई, रायपुर (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

प्रकरण क्रमांक –311 **M-COM-2021-01570**

आवेदक : छत्तीसगढ़ रेरा विरूद्ध ''मर्लिन जयश्री विहार (फेस–2)'', प्रमोटर–मेसर्स जयश्री बिल्डर्स, पता–मर्लिन जयश्री विहार, डी ब्लॉक 6ए, देवेन्द्र नगर, रायपुर (छ.ग)
प्रोजेक्ट–''मर्लिन जयश्री विहार (फेस–2)'' पंडरीतराई, रायपुर (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

प्रकरण क्रमांक –311 **M-COM-2021-01570**

आवेदक : छत्तीसगढ़ रेरा विरूद्ध ''मर्लिन जयश्री विहार (फेस–2)'', प्रमोटर–मेसर्स जयश्री बिल्डर्स, पता–मर्लिन जयश्री विहार, डी ब्लॉक 6ए, देवेन्द्र नगर, रायपुर (छ.ग) प्रोजेक्ट–''मर्लिन जयश्री विहार (फेस–2)'' पंडरीतराई, रायपुर (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर